फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली

मनिस्की रघुनाथजी बनाम हनुमान

मुकदमा संख्या/वर्ष 7/2019 /20

प्रा०पत्र 212 रा०म०वि०

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22-1-24	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक [illegible] कार्य स्थगित रखा है। [illegible] अन्य कार्य में [illegible] पत्रावली दिनांक 1-3-24 को पेश हो।	
	1-3-24	वकालाये फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर है। प्रशा. कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि. 26-4-24 को पेश हो।	
	26/4/24	अधिवक्ता श्री उभय अनुपस्थित सं०-9 के का० मु० का०पत्र पेश करते एवं बहस में तत्परता हेतु अन्तिम अवसर दिया गया दिनांक 5/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़	
	5/6/24	अधिवक्ता श्री अनुपस्थित। अधिवक्ता को अभिभाषण में तत्परता हेतु अनेक अवसर एवं अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी तत्परता नहीं करवाने पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 09 R 5 CPC के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित कुमार होकर वर्ष नजर से कम हो।	